

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.11.2024

थाना शहाबगंज – जनपद चन्दौली

◆ □ थाना शहाबगंज पुलिस द्वारा एक टाटा पिकअप वाहन से 02 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए एक शातिर पशु तस्कर को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद मे गौ तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे पुलिस अधीक्षक /अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव कुमार सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मिर्जा रिजवान बेग थाना शहाबगंज के नेतृत्व में दिनांक 15.11.2024 को थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा ग्राम रज्जुपुर के सामने मेन रोड नहर पुलिया के पास एक गौतस्कर द्वारा टाटा पिकअप वाहन मे दो राशि गोवंशीय पशु को क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार प्रान्त ले जाते समय गोवंश की बरामदगी करते हुए एक गौ-तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 115/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. अब्दुल फैज पुत्र जहीर निवासी ग्राम लाटभैरव सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी हाल पता केरायगांव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 24 वर्ष

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 115/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण –

1. दो राशि गोवंशीय पशु
2. एक टाटा पिकअप वाहन (UP67AT4717)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. मिर्जा रिजवान बेग- थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 रामचन्द्र शाही
3. का0 सर्वजीत सिंह
4. का0 मनीष कुमार यादव

